न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2025/109
मुकदमा नम्बर 25/2025 दर्ज दिनांक– 10.03.2025

प्रभुदयाल पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी गिरधरपुरा शाहपुरा,तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री विकास सैनी
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 05.06.2025**

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा पटवार हल्का टोंकछिलरी की सरहद में नई खाता सं. 306 की भूमि ख.नं. 3573 रकबा 0.02 है0, ख.न. 574 रकबा 0.98 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.00 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रभु पुत्र नाराणा के स्थान पर प्रभुदयाल पुत्र नारायणराम तथा राजस्व ग्राम गिरधरपुरा पटवार हल्का टोंकछिलरी की सरहद में स्थित नई खाता सं. 307 खसरा नं. 590 रकबा 2.29 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रभु पुत्र नारानाराम के स्थान पर प्रभुदयाल पुत्र नारायणराम दुरूस्त किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी अनावेदक की जारी की गई। अनावेदक कि और से पैरो. राज. उपस्थित हो रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2025/8029 दिनांक 27.05.2025 पेश की गई। जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त किया जाना उचित है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगोर सुनी गई। वकील आवेदक ने मुताबिक तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकील आवेदक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। प्रा. पत्र वादी का प्रा. पत्र के समर्थन मे प्रस्तुत शपथ पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोजों तथा प्रकरण में तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

नवलगढ कि रिपोर्ट कमांक भू.अ./2025/8029 दिनांक 27.05.2025 के आधार पर प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा पटवार हल्का टोंकछिलरी की सरहद में नई खाता सं. 306 की भूमि ख.नं. 3573 रकबा 0.02 है0, ख.न. 574 रकबा 0.98 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.00 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रभु पुत्र नाराणा के स्थान पर प्रभुदयाल पुत्र नारायणराम तथा राजस्व ग्राम गिरधरपुरा पटवार हल्का टोंकछिलरी की सरहद में स्थित नई खाता सं. 307 खसरा नं. 590 रकबा 2.29 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रभु पुत्र नारानाराम के स्थान पर प्रभुदयाल पुत्र नारायणराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 05.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुंनू